संख्या पर (एपी–बी) ए (3)–1/2013
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नियुक्ति–।।)

दिनांक शिमला–171002, 18 जुलाई, 2017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश

विषयः बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र बारे अनुदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्या पर(एपी.बी)डी(1)–7/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2017 के कम को जारी रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय परिचालित किया गया है कि प्रदेश से बाहर विवाहित महिला को हिमाचल की स्थायी निवासी होने की पात्रता को विवाहोपरान्त भी संरक्षित (protected) रखने का विकल्प प्रदान किया जाए यदि यह उसके पति के राज्य की इस संदर्भ में प्रचलित नीति/दिशानिर्देशों के प्रतिकूल न हो। सरकार के इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने हेतु मामला सरकार के विचाराधीन था तथा अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस संदर्भ में प्रदेश से बाहर विवाहित महिला जिसके पक्ष में हिमाचली प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, से शपथपत्र प्राप्त कर लिया जाये जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि प्रार्थिन के पक्ष में भारत के किसी अन्य राज्य का वैद्य मूल प्रमाण पत्र (Domicile/Bonafide Certificate) जारी नहीं किया गया है अथवा हिमाचल प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में मूल प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु उसका कोई आवेदन लम्बित या आवेदित नहीं है। फलस्वरूप हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने में उसके पति के राज्य की प्रचलित नीति/दिशानिर्देशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

.....2...

2. सरकार के इस निर्णय को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित के ध्यानार्थ लाएं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश भंडारी)
उप सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष 177–2628499

सं0 पर (एपी–बी) ए (3)–1/2013 शिमला–171002 दिनांक 18 जुलाई, 2017

प्रतिलिपिः

1. नस्ति सं0 पर(एपी–बी)डी(1)–7/2016 –टिप्पण की छायाप्रति सहित।
2. रक्षक नस्ति।

उप सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार